ORIGINAL RESEARCH PAPER

Management

कोरोना संकटकाल (अप्रैल 2020 से सितंबर 2020) में मध्यप्रदेश में महिलाओं के प्रति होने वाले जघन्य अपराध-बलात्कार का भौगोलिक विश्लेषण

KEY WORDS:

डॉ. संगीता सिंह*

*Corresponding Author

ABSTRACT

कोविड-19 के प्रभाव से मानव जीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है ; सामाजिक ताना-बाना छिन्न-भिन्न हो गया है; अनेक गतिविधियाँ बंद हैं; लोगों में भय व्याप्त है; लेकिन फिर भी प्रकृति की अनमोल रचना महिलाओं के प्रति सबसे जघन्य अपराध "बलात्कार" खत्म नहीं हुआ है। सन 2017 में मध्यप्रदेश में बलात्कार के 4882 अपराध हुए जबकि वर्ष 2020 में कोरोना संकट के 5 महीनों (अप्रैल-अगस्त) में भी 1818 अपराध हुए। कई भौगोलिक कारक रहे-जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या का घनत्व, अधिवास का स्वरूप, जैव विविधता, माइग्रेशन आदि। इस अपराध के नियंत्रण के लिए हमें यह समझना ही होगा कि एक पुरुष के लिए कोई भी स्त्री पहले माँ है फिर बेटी। स्त्री जननी है ;वह पुरुष का ही एक रूप है, वह सहयोगी है, भोग्या नहीं।अपराध-नियंत्रण हेतु अब पुलिस की कड़ाई, कानून की सख्ती आवश्यक तो है ही; जनजागरण की विशेष आवश्यकता है। बेटी किसी की भी हो हम सबकी बेटी है। उसे सुरक्षा प्रदान करना हम सबका परम दायित्व है।

इस कोविड-19 के प्रभाव से मानव जीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है ; सामाजिक ताना-बाना छिन्न-भिन्न हो गया है; अनेक गतिविधियाँ बंद हैं। लोगों में भय व्याप्त है। कुछ लोग हाट-बाजार में भले ही लापरवाह दिखें पर वे सच में मास्क धारण करना चाहते हैं, किये हुए भी दिखते हैं; सच में सोशल डिस्टेंसिंग (social distancing) का पालन करना चाहते है, अपवाद छोड़ दें तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए दिखते भी हैं। सड़कों पर भीड़ कम हुई है, प्रदूषण कम हुआ है, पक्षियों का कलरव बढ़ गया है प्रकृति का रूप निखर आया है, सब कुछ हुआ है पर प्रकृति की एक अनमोल रचना महिलाओं के प्रति सबसे जघन्य अपराध "बलात्कार" खत्म क्यों नहीं हुआ है ?

समूचे विश्व में भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ जोर देकर कहा गया है-

नारी निन्दा ना करो, नारी रतन की खान
नारी से नर होत है, ध्रुव प्रहलाद समान।[1]

अब विचारणीय यह कि यह आप्त कथन, सदवाक्य होते हुए भी और मानव सभ्यता के चरम विकास काल में भी महिलाओं के बलात दैहिक शोषण की घटनाएं क्यों हो रही हैं ? चाहे अखबार हों या न्यूज चैनल सब में Rape की ही खबरें छाई रहती हैं।

" नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के अनुसार, 2010 के बाद से महिलाओं के खिलाफ अपराधों में 7.5 फीसदी वृद्धि हुई है। साल 2012 के दौरान देश में 24,923 मामले दर्ज हुए, जो 2013 में बढ़कर 33,707 हो गई। रेप पीड़ितों में ज्यादातर की उम्र 18 से 30 साल के बीच थी। हर तीसरे पीड़ित की उम्र 18 साल से कम है। वहीं, 10 में एक पीड़ित की उम्र 14 साल से भी कम है। भारत में हर छह घंटे में एक लड़की का रेप हो जाता है। महिलाओं के साथ रेप के मामले में 4,882 की संख्या के साथ 2017 में मध्य प्रदेश सबसे आगे था।"[2]

हिंदी के सुप्रसिद्ध लेखक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने ज्ञान राशि के संचित कोश को साहित्य कहा है। इस दृष्टि से यह शोध पत्र भी साहित्य है। साहित्य के प्रयोजन इस प्रकार कहे गए हैं-

काव्यं यशसे अर्थकृते व्यवहारविदे शिवेतरक्षतये।
सद्यः परनिर्वृतये कान्तासम्मिततयोपदेशयुजे।।[3]

वस्तुतः यहाँ भी आंकड़ो में स्थिति की भयावहता के बावजूद इस शोध पत्र का **उद्देश्य** भय प्रस्तुत करना नहीं, प्रत्युत चेताना है, परमात्मा के सर्वश्रेष्ठ सृजन मानव का ज़मीर जगाना है ताकि लोग स्थिति पर विचार करें जिससे यह कुत्सित अपराध जड़मूल से समाप्त हो सके। उपर्युक्त श्लोक के माध्यम से हमें इस शोध पत्र में केवल चौथे और छठवें नम्बर के प्रयोजन ही अभीप्सित हैं- चौथा, अर्थात जो कष्टकारक है उसका निवारण करना और छठवाँ अर्थात बड़ी प्रिय भाषा में जघन्य अपराध के प्रति सजग करना।

शोध आलेख का **अध्ययन क्षेत्र** केवल मध्यप्रदेश में कोरोना संकट काल (अप्रैल 2020 से अगस्त 2020=5 माह) में घटित बलात्कार की घटनाओं तक ही सीमित है; अतः यहाँ उक्त अवधि के मध्यप्रदेश के आंकड़ों पर दृष्टिपात कर लेना उचित है।

मध्यप्रदेश में कोरोना संकटकाल में महिलाओं के प्रति होने वाले जघन्य अपराध-बलात्कार के भौगोलिक कारकों का विश्लेषण (अप्रैल 2020 से अगस्त 2020)

क्र	मध्यप्रदेश के मुख्य जिले	अप्रेल			मई			जून			जुलाई			अगस्त		
		2020	2019	अंतर	2020	2019	अंतर	2020	2019	अंतर	2020	2019	अंतर	2020	2019	अंतर
1	भोपाल	7	36	-29	9	31	-22	23	30	-7	25	30	-5	14	24	-10
2	ग्वालियर	8	7	1	25	14	11	18	18	0	15	21	-6	14	18	-4
3	इंदौर	8	22	-14	12	24	-12	22	22	0	26	35	-9	22	31	-9
4	जबलपुर	9	14	-5	11	22	-11	26	20	6	22	10	12	17	8	9
5	संपूर्ण मध्यप्रदेश	206	413	-107	357	452	-95	434	491	-57	439	416	23	382	360	22

स्रोत मध्य प्रदेश राज्य अपराध रिकार्ड ब्यूरो।

उक्त तालिका में समान समय के अर्थात अप्रैल से अगस्त तक के वर्ष 2019 और वर्ष 2020 के आँकड़े संकलित किये गए हैं। स्पष्ट होता है कि मध्यप्रदेश में वर्ष 2020 के इन 5 महीनों में बलात्कार के 1818 अपराध हुए अर्थात प्रतिमाह औसत लगभग 364 कुकृत्य। पृथक करके देखा जाए तो अप्रैल 2019 बलात्कार की 413 घटनाएँ हुईं जबकि इसी अवधि में 2020 में केवल 206 अर्थात 207 घटनाएँ कम हुईं। माह मई 2019 में इस अपराध ने 452 का आंकड़ा छुआ पर मई 2020 में 357 अर्थात 95 अपराध कम हुए। यहाँ दृष्टव्य यह है कि 2020 में कोरोनाकाल में बलात्कार की घटनाएँ अप्रैल 2020 की तुलना मई 2020 में अधिक हुईं। मई 2020 में लॉकडाउन भी लागू था और कोरोना वायरस भी पूरी गति से फैल रहा था। जून 2019 में 491 अपराध हुए तो इसी अवधि में 2020 में 434 अर्थात 57 अपराध कम हुए। जून 2020 में कोरोना संकट काल की भयावह स्थिति में भी अप्रैल और मई 2020 की तुलना में अधिक अपराध हुए। जुलाई 2019 में बलात्कार की 416 घटनाएँ हुईं तो जुलाई 2020 में इनमें 23 की वृद्धि होकर इनकी संख्या 439 हो गईं। यही स्थिति अगस्त में हुई; इस अवधि में वर्ष 2019 में 360 घटनाएँ हुईं थीं, वर्ष 2020 यह 22 बढ़कर 382 हो गईं। यहाँ अपराधों की संख्या उतनी उल्लेखनीय नहीं है जितनी कि यह स्थिति कि लॉकडाउन, सोशल डिस्टेंसिंग जैसी कड़ी स्थितियाँ लागू होते हुए, कोरोना मरीजों की लगातार बढ़ती संख्या के बावजूद यह अपराध हुए।

अब विचारणीय यह है कि कोरोना के इस संकट काल में वायु साफ-सुथरी हुई, सड़कें साफ-सुथरी हुईं, पेड़-पौधे साफ-सुथरे हुए पर स्त्रियों के प्रति मानव-मन साफ क्यों नहीं हुआ ? इसके लिए कौन-कौन भौगोलिक कारक कितने जिम्मेदार हैं ? वस्तुतः भूगोल "भू" का स्थानिक एवं सामयिक अध्ययन है, इसलिए कोरोना-काल में महिलाओं के प्रति होने वाले बलात्कार जैसे जघन्य अपराध के लिए भौगोलिक-कारकों के प्रभाव को नकारा नहीं जा सकता है। एक भूगोलवेत्ता का मत है कि- "भूगोल की एक अवधारणा है निश्चयवाद, जिसके समर्थकों द्वारा प्रकृति को मानव से अधिक शक्तिशाली माना गया है। प्रकृति, मानव की क्रियाओं, संस्कृति, व्यवहार को नियंत्रित करती है। कोरोना के कारण शायद प्रकृति, अप्रत्यक्ष रूप से यह संदेश दे रही है कि प्रकृति को, उसे कुचल कर किया गया विकास मंजूर नहीं है।" भूगोल में हम प्रकृति के ही अवयवों का अध्ययन, विश्लेषण करते हैं।

जनसंख्या वृद्धि भी कोरोना के प्रसार के साथ-साथ बलात्कार जैसे जघन्य अपराध के लिए एक प्रभावी कारक है। माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत के अनुसार यदि जनसंख्या में वृद्धि सीमा से अधिक होती है, तो वह संसाधनों की कमी की स्थिति निर्मित करती है, जिससे अपराध बढ़ते हैं। संसाधनों की कमी होने से मनुष्य में नैराश्य और अवसाद की स्थिति बनती है, अस्तु वह विकृत मनोस्थिति में बलात्कार जैसे अपराध कर बैठता है। प्रचुर संसाधन से मनुष्य में अहम उपजता है, वह विलासिता की ओर कदम बढ़ा देता है जिससे भी वह बलात्कार जैसे अपराध भी कर बैठता है। अन्य दृष्टियों से भी बढ़ती हुई जनसंख्या बलात्कार जैसे अपराध का एक महत्त्वपूर्ण कारक ठहरता है।

भूगोल पृथ्वी का स्थानिक (Spatial) अध्ययन है पर साथ ही साथ सामयिक (Temporal) अध्ययन भी है; अतः **जनसंख्या का घनत्व** (Population density) जैसा भौगोलिक कारक कोरोना के प्रसार को भी बढ़ाता है, साथ ही साथ बलात्कार जैसे अपराध को भी प्रभावित करता है। कम घनत्व यानी कम कोरोना संक्रमण। कम घनत्व तो बलात्कार की घटनाएँ भी कम, बशर्ते अन्य स्थितियाँ सामान्य रहें।

जैव विविधता आवश्यक है। इसके अन्तर्गत जीवित पदार्थों के सम्पूर्ण संग्रह का कुल योग और जिस पर्यावरण में उन सहित हम सब रहते हैं, अर्थात् पारिस्थितिकी तंत्र भी सम्मिलित है। इसमें जीवों के अन्दर और उनके मध्य की विविधताओं को भी दृष्टिगत रखा जाता है। इसमें एक दूसरे के ऊपर प्रभाव डालने वाले समुदाय भी सम्मिलित हैं। इस दृष्टि से अगर देखा जाए तो जैव विविधता विभिन्न पारिस्थितिकीय तंत्रों में उपस्थित जीवों के बीच तुलनात्मक विविधता का आकलन है। पृथ्वी पर सभी जीव और उनका पर्यावरण एक दूसरे पर अत्यंत नजदीकी से प्रभाव डालते हैं। इस पर्यावरण में कोई भी बदलाव या तो जीव के विलुप्त होने का कारण बनता है या फिर उनकी संख्या में विस्फोटक बढ़ोत्तरी का। कोई भी प्रजाति अपने पर्यावरण के प्रभाव से अनछुई नहीं रह सकती है। इसी प्रकार किसी प्राणी या वनस्पति की संख्या में कमी या वृद्धि इनके पर्यावरण परिवर्तनीय प्रभाव डालता है। इससे अन्य प्रजातियों के जीवन पर भी प्रभाव पड़ता है। जैव विविधता के टूटने से मनुष्य की मनःस्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

किसी स्थान का **अधिवास प्रारूप** (settlement pattern) महामारी और अपराधों पर प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालता है। जैसे घनी और अस्वच्छ बस्तियों में संक्रमण बढ़ने की आशंका अधिक रहती है। अपराध विज्ञानियों ने अनुभव किया है कि ऐसी बस्तियों में बलात्कार की घटनाओं की संभावना अधिक प्रबल होती है।

प्रवास (Migration) एक महत्त्वपूर्ण भौगोलिक कारक है। तमाम कारणों से **मानव का इमिग्रेशन और माइग्रेशन** होता ही है। इनके फलस्वरूप ही महामारियाँ एक स्थान से दूसरे स्थान को संक्रमित होती हैं। कोरोना वायरस हमारे देश में इसी आवास-प्रवास गतिविधि से आया है। यह कहना किंचित भी अनुचित नहीं है कि इन गतिविधियों से अपसंस्कृति भी आवागमन करती है, जो बलात्कार जैसे अपराध में बड़ी भूमिका निबाहती है। गाँव से शहरों की ओर और कभी-कभी शहरों से गाँवों की ओर जो पलायन होता है, उससे अपसंस्कृति, गरीबी, अमीरी भी इधर-उधर होती है। मनोभाव भी बनते बिगड़ते हैं, जिससे बलात्कार जैसे अपराध की आधारभूमि तैयार होती है। इन कारकों की भूमिका की पुष्टि यह आँकड़े भी करते हैं। मध्यप्रदेश में चार प्रमुख जिले सदैव बहुविध केंद्र रहे हैं। यहाँ उपरिवर्णित सभी भौगोलिक कारकों की विद्यमानता, सक्रियता दिखती है। कोरोना का प्रसार भी यहीं अधिक है। अस्तु हमने इन्हीं में कोरोनाकाल में घटित बलात्कार की घटनाओं पर दृष्टिपात किया है। **भोपाल** जिले में वर्ष 2020 में कोरोनाकाल (अप्रैल-अगस्त) में बलात्कार के कुल 78 अपराध हुए। यद्यपि यह 2019 की इसी अवधि की तुलना में 73 कम हैं फिर भी चौकाने वाले तो हैं ही। यहाँ जुलाई 20 में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण लोग

सहमे हुए थे फिर भी बलात्कार के 25 अपराध होना हमें चिंता में डाल देता है। **ग्वालियर** चंबल क्षेत्र का पड़ौसी है। यहाँ वर्ष 2020 में कोरोनाकाल (अप्रैल-अगस्त) में बलात्कार के कुल 80 अपराध हुए। यह 2019 की इसी अवधि की तुलना में 02 अधिक हैं, यहाँ मई 2020 में 25 अपराध हुए। **इंदौर** मध्यप्रदेश की औद्योगिक राजधानी कही जाती है। यहाँ वर्ष 2020 में कोरोनाकाल (अप्रैल-अगस्त) में बलात्कार के कुल 90 अपराध हुए। यह 2019 की इसी अवधि की तुलना में 44 कम हैं। यहाँ जुलाई 2020 में 26 अपराध हुए। यहाँ यह उल्लेख समीचीन है कि मध्यप्रदेश में कोरोना का सर्वाधिक संक्रमण यहीं हैं और एतदजनित सर्वाधिक मौतें भी यहीं हुई हैं, फिर भी पुरुषों की यह हिमाकत कि बलात्कार जैसे अपराध में न सहमे, न डरे। **जबलपुर** में पतित पावनी नर्मदा मैया बहती हैं। नर्मदा तट पर भक्ति-भाव साक्षात हो उठता है। पर यहां भी ओछी सोच वालों ने कुकृत्य से मुँह नहीं मोड़ा। यहाँ वर्ष 2020 में कोरोनाकाल (अप्रैल-अगस्त) में बलात्कार के कुल 85 अपराध हुए। यह 2019 की इसी अवधि की तुलना में 11 अधिक हैं। यहाँ जून 2020 में 26 अपराध हुए।

यह बिल्कुल सही है कि मानव ने आशा के अनुकूल प्रगति की है, उसने चहुमुखी विकास किया है पर पुरुष प्रधान इस समाज में स्त्री के प्रति उसकी सोच अभी भी दोयम दर्जे की बनी हुई है। जब हम आर्थिक सर्वे 2017-18 के एतदसम्बन्धी परिणाम देखते हैं, तो महिलाओं के प्रति समाज की दोयम दर्जे की सोच से बड़ी हताशा होती है। प्रस्तुत है रिपोर्ट - एक सरकारी सर्वे के अनुसार "भारत में 2 करोड़ से ज्यादा ऐसी बेटियां हैं जिन्हें उनके मां-बाप जन्म देना नहीं चाहते थे। यानि उनके माता-पिता को चाहत तो बेटे की थी, लेकिन उसकी जगह अनचाही बेटियों का जन्म होता गया।..... द इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार वर्ष 2017-18 के वित्त वर्ष में ये आंकलन शामिल किया गया है। इसके लिए अमेरिका की नॉर्थवेस्टर्न यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर सीमा जयचंद्रन के अध्ययन और शोध पत्रों को आधार बनाया गया है। .... रिसर्च पेपर्स के अनुसार भारत में 0 से 25 साल की बेटियां "सन मेटा प्रिफरेंस" का नतीजा हैं। यानि कि वे बेटियां जिनका जन्म सिर्फ बेटों की चाहत में होता गया। इस रिसर्च के लिए एसआरएलसी यानि सेक्स रेशियो ऑफ लास्ट चाइल्ड यानि आखिरी बच्चा लड़का या लड़की के मानदंड को आधार बनाया गया है।..... समाजशास्त्रियों के अनुसार भारत में बेटे की चाहत केवल गांव में ही नहीं बल्कि शहरों की मिडिल और अपर क्लास फैमिली को भी है।"[4]

निष्कर्ष की चर्चा करें तो यही कि बलात्कार जैसे अपराध के कारणों के लिए, इसके समूल नाश के लिए हमें सर्वप्रथम हमारे सामाजिक ढाँचे की ओर ताकना होगा। इस जघन्य अपराध की जड़ें यहीं हैं। समाज में जो विद्रूपताएँ हैं उन्हें मिटाना होगा। इसके बाद बारी आती है अनौपचारिक शिक्षा की, स्कूली पाठ्यक्रम की, जिनके माध्यम से हमें समाज की सोच बदलनी होगी; क्योंकि यहीं बलात्कार जैसा घोर अपराध संजीवनी बूटी पा रहा है। हमें बच्चों में सदसंस्कार डालने होंगे,उन्हें यह समझाना होगा कि एक पुरुष के लिए कोई भी स्त्री पहले माँ है फिर बेटी। स्त्री जननी है ; वह पुरुष का ही एक रूप है अस्तु सहयोगी है, भोग्या नहीं। अपराध-नियंत्रण हेतु अब पुलिस की कड़ाई, कानून की सख्ती तो आवश्यक है ही; जनजागरण की विशेष आवश्यकता है। बेटी किसी की भी हो हम सबकी बेटी है। उसे सुरक्षा प्रदान करना हम सबका परम दायित्व है। याद रखें अभी न जागे तो आगे की पीढ़ियाँ आपको माफ नहीं करेंगी। दिनकर जी का यह कथन भी ध्यातव्य है-"समर शेष है, नहीं पाप का भागी केवल व्याध, जो तटस्थ हैं, समय लिखेगा उनका भी अपराध।"[5]

-सन्दर्भ सूची:-

1. https://karmabhumi.org/
2. https://www.google.com/amp/
3. काव्य प्रकाश:आचार्य मम्मट
4. https://m.dailyhunt.in/news/
5. समर शेष है-राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर,प्रकाशन वर्ष 1954